न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–394/2026

CNR No.UPRN01-000799-2026

1. चेतराम उर्फ साहबलाल उम्र लगभग 43 वर्ष पुत्र स्व० शंकरलाल
2. श्रीमती सरोजनी उम्र लगभग 42 वर्ष पत्नी चेतराम उर्फ साहबलाल

निवासीगण ग्राम करचल, थाना रनियाँ, जनपद कानपुर देहात।

...आवेदकगण/अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–200/2025
धारा–85,80(2)बी०एन०एस० एवं
धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–रनियाँ, कानपुर देहात।

आदेश

1. मुकदमा अपराध सं०–200/2025, धारा–85,80(2)बी०एन०एस० एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–रनियाँ, कानपुर देहात के मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण चेतराम उर्फ साहबलाल एवं श्रीमती सरोजनी की तरफ से अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन के कथनानुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती शशि देवी के द्वारा इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि वह ग्राम सरसौल (रामनगर), थाना महराजपुर, कानपुर नगर की मूल निवासिनी है तथा अपनी बेटी संगीता की शादी दिनांक–01.06.2025 को दोनों पक्षों की रजामंदी में राजा पुत्र चेतराम , निवासी करचल, थाना रनियाँ, कानपुर देहात से हुई थी। वह गरीब होने के कारण दहेज नहीं दे सकी थी, जिसमें दबाव ससुराल वालों ने उसकी बेटी पर बनाते तथा मारपीट करते थे लेकिन दिनांक–09.11.2025 को संगीता का पति राजा व ससुर चेतराम, सास सरोजनी तथा देवर राज ने कमरे के अन्दर पकड़ कर बुरी तरह से मारपीट कर अन्दर कमरे में ही फांसी पर लटका दिया तथा अगल बगल से उसे सायं दो बजे सूचना मिली तो मौके पर पहुँचे तो मिट्टी नीचे उतार कर रख दिया था तथा पूछने पर उक्त लोग बोले जो करना हो कर लो। उचित कानूनी कार्यवाही कर मुकदमा पंजीकृत किये जाने की याचना की गयी।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होनें कोई अपराध नहीं किया है। उक्त मामले में उन्हें थाने की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कथित अपराध धारा–482(4) बी०एन०एस०एस० की परिधि में नहीं आता है। यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन है। उनके पुत्र ने संगीता से प्रेम विवाह किया था तथा अभियुक्तगण से अलग गांव में रह रहा था, जिसमें अभियुक्तगण की कोई दखलन्दाजी नहीं थी। अभियुक्तगण अपने परिवार सहित अलग रहते थे। राजा व संगीता अलग रहते थे। ऐसे में दहेज मांगना संभव नहीं है। अभियुक्त चेतराम उर्फ साहबलाल दिनांक–09.11.2025 को रोजी रोटी हेतु सुबह आठ बजे ई–रिक्शा से भाड़ा लेकर मुर्रा गांव कानपुर देहात गया था तथा मौके पर उपस्थित नहीं था। घटना की जानकारी होने पर घर आया और पुलिस को जानकारी दी। अभियुक्ता श्रीमती सरोजनी कथित दिनांक को धान कटाई करने हेतु खेतों पर गयी थी। मौके पर उपस्थित नहीं थी। घटना की जानकारी पर घर आयी और उसके पति ने थाने जानकारी देकर समस्त कार्यवाही की थी। वादिनी की पुत्री घर पर अकेली थी और स्वयं आत्महत्या की है। वादिनी ने दबाव बनाने व धन उगाही के लिये आरोपित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीसरे दिन दर्ज करायी गयी है। अभियुक्तगण मृतका के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम के समय उपस्थित थे। अभियुक्तगण का पुत्र राजा जेल में है। मामले में पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। अभियुक्तगण चेतराम उर्फ साहबलाल

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.03.24 16:15:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा श्रीमती सरोजनी, मृतका संगीता के क्रमशः ससुर व सास है। अभियुक्तगण वृद्ध है। वे अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने मौखिक रूप से जमानत प्रा0 पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका संगीता, जो कि सह अभियुक्त राजा की पत्नी थी, से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी तथा मांग की पूर्ति न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया और मारपीट कर फांसी लगाकर दहेज हत्या कारित की गयी है। अभियुक्तगण चेतराम उर्फ साहबलाल तथा श्रीमती सरोजनी, मृतका संगीता के क्रमशः ससुर व सास है। मामले में विवेचना प्रचलित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु हैंगिग से होना दर्शित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर दो चोटे आने का उल्लेख है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के छः माह के अन्दर हुई है। प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण की निर्दोषिता की उपधारणा नहीं की जा सकती है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि इस मामले में आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका संगीता, जो कि सह अभियुक्त राजा की पत्नी थी, से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी तथा मांग की पूर्ति न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया और मारपीट कर फांसी लगाकर दहेज हत्या कारित की गयी है। अभियुक्तगण चेतराम उर्फ साहबलाल तथा श्रीमती सरोजनी, मृतका संगीता के क्रमशः ससुर व सास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु हैंगिग से होना दर्शित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर दो चोटे आने का भी उल्लेख है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के छः माह के भीतर हुई है। मामले में विवेचना प्रचलित है। वादिनी मुकदमा शशि देवी एवं तनवी ने विवेचक को दिये बयान में घटना का समर्थन किया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रश्नगत आपराधिक घटनाक्रम में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

7– सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–24.03.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003